[2025] 3 एससीआर 1503: 2025 आईएनएससी 624

शेख जावेद अहमद तथा एक अन्य

बनाम

जम्मू एवं कश्मीर राज्य तथा अन्य

(सिविल अपील सं0 (संख्याएं), 4426-4427 वर्ष 2025)

27 मार्च 2025

[विक्रमनाथ, संजय करोल तथा संदीप मेहता, न्यायमूर्तिगण]

विचारार्थ मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय ने सहायक प्रोफेसर के रूप में अपीलकर्तागण के नियुक्तियों को नियमों तथा विनियमों से बेमेल होने के नाते अपास्त करने में त्रुटि किया था।

शीर्ष टिप्पणियाँ

सेवा विधि- उच्च न्यायालय ने यह धारित करते हुए काय आयुर्विज्ञान एवं पुनर्वास विभाग (पीएमआर), शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान सौरा, श्रीनगर (स्किम) में अपीलकर्तागण के सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति को रद्द किया था कि इन लोगों के पास पीएमआर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की विहित योग्यता नहीं थी- यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इन लोगों ने संस्थानों जो पूर्वोक्त पाठ्यक्रम चलाते थे में दाखिला हेतु कोई प्रयास नहीं किया था तथा यह कि यह प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं था कि पीएमआर में डिप्लोमा प्राप्त करना असंभव था- को चुनौती:

अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय ने अपीलकर्तागण के नियुक्ति को अपास्त करने में त्रुटि किया था - अपीलकर्तागण हेतु सहायक प्रोफेसर के दो पदों को रोकने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना से प्रदर्शित होता है कि दो अभ्यर्थियों को इनके विशेष विषय में दो वर्षीय डिप्लोमा हेतु प्रायोजित किया जाना था जिससे बाद, ये लोग आवश्यक बंधपत्र के अनुसार सात वर्ष के लिए संस्था की सेवा करेंगें- इसलिए, स्किम को अपीलकर्तागण के लिए दाखिला सुनिश्चित करने का प्रबंध करना था, फिर भी, यह पाठ्यक्रम को आरंभ करने के लिए अपीलकर्तागण हेतु प्रबंध नही कर सका- आगे, यह भी पाया गया था कि कई कालेजों ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम बंद कर दिया था- इसके अलावा, अपीलकर्तागण ने इस प्रकार का प्रशिक्षण आरंभ किया था तथा पहले अपीलकर्ता ने विभागाध्यक्ष, एम्स दिल्ली द्वारा सिफारिश पत्र भी प्राप्त किया था- अपीलकर्तागण को सेवा में सातत्य के साथ सहायक प्रोफेसर के रूप में सेवा में यथापूर्वकरण किया जाना था। (पैरा 8,9,11,12,13)

सेवा मामले- लोकहित वाद-पोषणीयता-विचार विमर्श किया गया।

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

डा0 दुर्योधन साहू बनाम जितेन्द्र कुमार मिश्रा तथा अन्य **(1998) अनुपूरक 1 एससीआर 77: (1998) 7 एससीसी 273:** *गुरपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य* **(2005) अनुपूरक 1 एससीआर 215: (2005) 5 एससीसी 136:** *हरी वंश लाल बनाम सहोदर प्रसाद महतो* **(2010) 19 एससीआर 561: (2010) 9 एससीसी 655:** *गुजरात उच्च न्यायालय बनाम गुजरात किसान मजदूर पंचायत तथा अन्य* **(2003) 2 एससीआर 799: (2003) 4 एससीसी 712 - निर्दिष्ट**

अधिनियमों की सूची

जम्मू एवं कश्मीर संविधान

प्रमुख शब्दों की सूची

सहायक प्रोफेसरों के रूप में नियुक्तियाँ; शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (स्किम): एपिकल चयन समिति; काय आयुर्विज्ञान एवं पुनर्वास (पीएमआर) में वरिष्ठ रेजिडेण्ट; पीएमआर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम; दो वर्षीय डिप्लोमा, विहित योग्ताओं को प्राप्त करने की असंभवता, अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली (एम्स); डिप्लोमा की शर्त को शिथिल किया गया; लोकहित वाद; सेवा मामलों में लोकहित वाद; यथापूर्वकरण; सेवा में सातत्य; विधि में असंभवता।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपील अधिकारिता: सिविल अपील सं0 (संख्याएं) - 4426-4427 वर्ष 2025

क्रमशः लोकहित वाद सं0 43 वर्ष 2014 तथा लोकहित वाद सं0 861 वर्ष 2010 में जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय श्रीनगर के निर्णय तथा आदेश दिनांक 30-3-2018 तथा 11-07-2014 से

अधिवक्तागण

अपीलकर्तागण के अधिवक्तागण:

गौरव ‘पचनंदा, ए.एम. मागरे, वरिष्ठ अधिवक्तागण, नितीश गुप्ता, फरमान अली, सुश्री निकिता जेटली, धुरव अरोड़ा, चन्द्र प्रकाश

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण:

जी0एम0 काबूसा, पशुपति नाथ राजदान

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>आदेश</u>

अनुमति प्रदान की गई।

2. इन अपीलों द्वारा जम्मु एवं कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर द्वारा ओ0डब्लूपी (पीआईएल) सं0 861 वर्ष 2010 में पारित निर्णय तथा आदेश दिनांक 11 जुलाई 2014 तथा आरपीआईएल सं0 43 वर्ष 2014 में आदेश दिनांक 30 मार्च 2018 तथा आरपीपीआईएल सं0 43/2014 में आदेश दिनांक 30 मार्च 2018 के विशुद्धता पर सवाल किया गया है, जिसके द्वारा इसमें अपीलकर्तागण अर्थात डा0 शेख जावेद अहमद तथा डा0 अब्दुल हामिद राठेर को दिये गये सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्तियों को नियमों तथा विनियमों से बेमेल होने के नाते अपास्त किया गया था तथा इसके विरुद्ध ईप्सित पुनर्विलोकन को भी खारिज किया गया था।

आरंभ में, हम 3 नवम्बर 2023 को पारित इस न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हैं:

> “जब मामले को सुनवाई हेतु पुकारा जाता है, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष निवेदन किया है कि लोकहित वाद (पीआईएल) जिससे वर्तमान कार्यवाही उद्भूत होती है के तीनों याचीगण में से दो ढूढ़े जाने योग्य नहीं है तथा तीनों व्यक्तियों जिसके नाम में कार्यवाही की गई है में से एक ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष शपथपत्र दाखिल किया है कि इसने उक्त याचिका को दाखिल नहीं किया था।

राज्य तीनों याचीगण जिन्होंने लोकहित वाद लाया था के पता ठिकाना के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करेगा। राज्य शेरे-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर में रिक्ति के स्थिति के बारे में इस न्यायालय को अवगत करायेगा..........''

(बल दिया गया)

12 दिसम्बर 2023 को, यह बताया गया था कि महानिदेशक, अपराध अन्वेषण विभाग लोकहित वाद याचीगण के पहचान की जांच कर रहा है। सचिव जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा दाखिल शपथपत्र दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा सीआईडी के रिपोर्ट को संलग्न किया गया था, जिसे संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत किया जाता है :

i. पूर्वोक्त संदर्भ में क्रम सं0 01 पर सामने आने वाला याची अर्थात मोहम्मद सईद शाह पुत्र मुहम्मद सादिक शाह को कोनान, वादीपुरा का निवासी पाया गया था। वह लगभग 70 वर्ष की आयु का है। यह चुन्टी मुल्ला, बांदीपुरा में मेडिकल की दुकान चला रहा था, वर्तमान में इसके दो पुत्र प्रमुख बाजार वांदीपुरा में मेडिकल की दुकान चला रहे हैं। तात्पर्यित याची मोहम्मद सईद शाह ने मा0 न्यायालय के समक्ष लोकहित वाद दाखिल करने से इंकार किया है। प्रतिवेदन के अनुसार 02 वर्ष पहले, इसने स्किम अधिकारियों को वचनवंध दिया था जिसमें इसने मा0 न्यायालय के समक्ष इस प्रकार के किसी लोकहित वाद को दाखिल करने का खण्डन किया था। मोहम्मद सईद शाह से सम्पर्क स्थापित करने का नम्बर 9596325628 है।

ii. पूर्वोक्त संदर्भ में क्रम सं0 02 पर सामने आने वाला याची अर्थात मोहम्मद ईशाक खण्डे पुत्र अब्दुल खालिक खण्डे निवासी बटपोरा, सोपोर वर्तमान में 1986 से हमजा कालोनी वेमिना श्रीनगर में रह रहा हे तथा 2020 में कृषि विभाग से शोध सहायक के रूप में सेवानिृत्त हुआ था। इसका फोन नम्बर 7889505126 है। इसने लोकहितवाद दाखिल करना स्वीकार किया है।

iii. ऊपर प्रोद्धृत संदर्भ में क्रम सं0 3 पर सामने आने वाले याची अर्थात मोहम्मद अमीन शेख पुत्र गुलाम अहमद शेख निवासी वोहारी के संबंध में पता ठिकाना को अपूर्ण पता के कारण ढूढ़ा नहीं जा सका है।

3. फील्ड रिपोर्ट से आगे प्रकट होता है कि याचिका को प्रतिवेदन के अनुसार मोहम्मद सईद शाह जिसके साथ तात्पर्यित याची मोहम्मद सईद शाह परिचर के रूप में काम कर रहा था सहित याचीगण की ओर से मा0 जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्याालय के समक्ष 10 वर्ष पहले डॉ0 अली मोहम्मद बुहरू पुत्र गुलाम मोहम्मद बुहरू निवासी गुंडीकासेर, वादीपुरा तत्कालीन विभागध्यक्ष भौतिक विज्ञान स्किम श्रीनगर (अब सेवानिवृत्त) द्वारा दाखिल किया गया था।''

(बल दिया गया)

यहाँ हम स्वयं अपना ताज्जुब लेखबद्ध कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने अभिकथित याची के इस प्रकार के शपथपत्र को प्राप्त करने क पश्चात इसके आदेश तथा इसके औचित्य की जांच करने के लिए कदम नहीं उठाया था। बहरहाल, हम अब अपने समक्ष मामलों के गुणावगुण तथा तथ्यां की ओर अग्रसर होते हैं।

3. अनावश्यक विवरणों को छोड़कर इन अपीलों की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि निम्नवत् है:-

3.1 राज्य के अधिकारियों ने शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, सौरा, श्रीनगर में प्रोफेसरों, सह प्रोफेसरों तथा सहायक प्रोफेसरों के पदों को भरने के लिए 31 दिसम्बर 2004 को विज्ञापन नोटिस सं.0 1 जारी किया था/इसमें अपीलकर्तागण ने सहायक प्रोफेसरों ने पद हेतु आवेदन किया था, तथापि, अयोग्य न्यायनिर्णीत किया गया था।

3.2 तत्पश्चात, एपिकल चयन समिति ने 25 से 29 अगस्त 2005 तक सम्पन्न अपने 29वें बैठक में काय आयुर्विज्ञान एवं पुनर्वास में वरिष्ठ रजिडेण्ट तथा विशेष विषय में दो वर्षीय डिप्लोमा हेतु इनके प्रायोजन के रूप में दोनों अपीलकर्तागण के नियुक्ति की सिफारिश किया था। संकल्प में यह भी कहा गया था कि इनकी नियुक्ति दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात काय आयुर्विज्ञान तथा पुनर्वास में सहायक प्रोफेसरों के रूप में की जायेगी तथा इस प्रकार, इस प्रकार के प्रयोजन हेतु सहायक प्रोफेसरों के दोनों पदों को रोका गया था।

3.3 अपीलकर्तागण को 12 दिसम्बर 2005 को इस प्रकार के पदों (वरिष्ठ रेजिडेन्ट) पर नियुक्त किया गया था। निर्विवाद कठिनाईयों के कारण, ऐसा प्रतीत होता है कि दो वर्षीय डिप्लोम फलीभूत नही हो सका। इस कारण इस संबंध में स्पष्टता की मांग करते हुए विभागाध्यक्ष, स्किम तथा विभागाध्यक्ष, पीएमआर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के बीच कतिपय पत्र व्यवहार हुआ था। परवर्ती संस्थान के विभागाध्यक्ष ने अपने पत्र दिनांक 10 मार्च 2006 में सिफारिश किया था कि प्रक्रिया के अनुसार जिसका अनुसरण किया गया है, विद्वान शिक्षक के अधीन पीएमआर, एम्स में कार्यरत प्रशिक्षण दिया जाता है तथा वह इस अन्तराल को भरने के लिए अधिक इच्छुक होगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि यह प्रशिक्षण 6 माह या किसी अन्य समयावधि के लिए है जैसा आवश्यक समझा जाता है। यद्यपि, यह डिग्री के तुल्य नहीं होगा लेकिन विषय में प्राध्यापक वर्ग के रूप में कार्य करने के लिए इसे प्राप्त किये गये व्यक्ति हेतु पर्याप्त है। डा0 यू0 सिंह, विभागाध्यक्ष, पीएमआर, एम्स द्वारा पत्र व्यवहार दिनांक 10 मार्च 2006 को निम्नवत् उद्धृत किया जाता है:

".........प्रिय महोदय बुहरू,

कृपा करके पीएमआर में डिप्लोमा करने के लिए अपने विभाग के वरिष्ठ रेजिडेन्ट के प्रशिक्षण तथा अपने संस्थान को शैक्षणिक सहायता देने के संबंध में अपने पत्र सं0 सिम्स/पीएमआर/170/24/06 दिनांक 07-03-2006 का संदर्भ लें। जैसा आपके पत्र में वांछित है, एम्स कोई डिप्लोमा पाठ्यक्रम नहीं चलाता है। यह एमडी (पीएमआर) के लिए तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम चलाता है। यदि आप पीएमआर में अपने वरिष्ठ रजिडेन्टों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं। पीएमआर में किसी डिग्री पाठ्यक्रम को करने के लिए पहले से एमडी (मेडिकल) की डिग्री रखने वाले व्यक्ति को प्रशिक्षण देना अधिक तार्किक नही होगा। जैसा अतीत में किया गया था, एमडी (मेडिसन) या एम.एस. (विकलांग विद्या) वाले व्यक्ति स्वयं पीएमआर के विभाग में कार्य करते हुए विद्वान शिक्षक के अधीन पीएमआर में कार्यरत प्रशिक्षण प्राप्त किया करते थे। यह प्रक्रिया रही है कि कैसे हमारे वरिष्ठ दुर्वाच्य प्रशिक्षित होते हैं तथा अन्य को प्रशिक्षण देते है।

हम आपको सुझाव देना चाहेगें कि आपको इन्हें दूर भेजने के बजाय स्किम श्रीनगर में पीएमआर के विभाग में अपने स्वयं के देखरेख में अपने स्वयं के वरिष्ठ रेजिडेन्टों को प्रशिक्षित करने की संभावना पर कार्य करना चाहिए.....

....

मैं समझता हूँ कि कतिपय कौशल को तेज करने के लिए, कुछ अभिदर्शन अन्य संस्थानों में अल्पावधि के लिए आवश्यक होगा। एम्स में हमारा विभाग इस अन्तराल को भरने के लिए अधिक प्रसन्न होगा। यदि आप इसे आवश्यक समझते हैं। अल्पावधि प्रशिक्षण कुछ माह या अवधि का हो सकता है जिसे आप जरूरी समझते हैं........

....

लेकिन, मै एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस प्रकार का अल्पावधि प्रशिक्षण किसी डिग्री या डिप्लोमा के तुल्य नही होगा बल्कि इसे इस विषय के प्राध्यापक वर्ग के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए पर्याप्त होना चाहिए।''

3.4 परिणामस्वरूप, अपीलकर्तागण ने एम्स दिल्ली में अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया था। 6 अक्टूबर 2007 को, भर्ती हेतु नया विज्ञापन रिक्तियों के लिए जारी किया गया था जिसे भरा नहीं गया था। अभिलेख से प्रकट होता है कि पत्र दिनांक 26 अक्टूबर 2007 द्वारा, स्किम ने अभिस्वीकार किया था कि अपीलकर्तागण हेतु दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पदों को आरक्षित करने के लिए किया गया प्रयास कोई परिणाम नही दिया था। यह आगे कहा गया था कि चूँकि इन लोगों ने सफलतापूर्वक दिल्ली में दिये गये प्रशिक्षण को पूरा किया था, इन पर सहायक प्रोफेसर के पद हेतु विचार किया जा सकता है। पत्र को निम्नवत् उद्धृत किया जाता है:

''उपाबंध पी-9''

शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान

(मानिद विश्वविद्यालय) सौरा, श्रीनगर

विषय: काय आयुर्विज्ञान तथा पुनर्वास एम्स, नई दिल्ली में अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

संदर्भः-पत्र सं0 सिम्स 302 07(29) 2005-1955-56 दिनांक 11-10-2007

अगस्त 25 से 29 अगस्त 2005 तक सम्पन्न एपिकल चयन समिति के निर्णय के अनुसार पीएमआर में डिप्लोमा करने हेतु 510 शेख जावेद अहमद तथा डा0 अब्दुल हामिद राठेर के संबंध में अपने उपरोक्त संसूचना का संदर्भ लें।

इस संबंध में आपको एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि पीएमआर में डिप्लोमा करने की संभावना का प्रयोग किया गया था तथा यह पाया गया कि पीएमआर में डिप्लोमा एम्स तथा पीजीआई में उपलब्ध नही था। तथापि विभागाध्यक्ष, काय आयुर्विज्ञान तथा पुनर्वास, एम्स से इस संबंध में विभागाध्यक्ष, पीएमआर, स्किम द्वारा सम्पर्क किया गया था जिसने अपना जवाब भेजा था जैसा संलग्न है।

तदनुसार संबंधित डाक्टरों को काय आयुर्विज्ञान एवं पुनर्वास विभाग एम्स में छह माह के प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था तथा अब ये लोग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद लौटे हैं।

इस प्रकार इनके मामले को सहायक प्रोफेसर के पद हेतु विचारार्थ ग्रहण किया जा सकता है जैसा एपिकल चयन समिति में तय किया गया था।

रजिस्ट्रार (शैक्षणिक)

एएओ (पालिसी)

स्किम

सिम्स, एसीएडी/एसआर-995 2007

दिनांक: 26-10-2007

सूचनार्थ प्रति

1. संकायाध्यक्ष के सूचनार्थ संकायाध्यक्ष के निजी सचिव को"

3.5 सविदात्मक कर्मचारियों की हैसियत से महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भारत सरकार द्वारा 12 फरवरी 2008 को, डिप्लोमा के शर्त को शिथिल किया गया था, जो उपाबंध पी-10 के रूप में संलग्न है। फिर भी, अंत में पुनः, स्किमस द्वारा एक नया विज्ञापन दिनांक 25 जून 2009 जारी किया गया था। अभिलेख मौन है कि इस प्रक्रिया का क्या हुआ था।

3.6 20 अक्टूबर 2010 को, उक्त विभाग में वर्तमान अपीलकर्तागण को सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करते हुए अधिसूचना जारी किया गया था। नियुक्ति का आदेश, जो उपाबंध पी-14 क रूप में संलग्न पाँच पन्नों में है सहायक प्रोफेसरों के रूप में अपीलकर्तागण के नियुक्तियों के पृष्ठभूमि की विस्तारपूर्वक चर्चा करता है। एम्स नई दिल्ली के साथ स्किमस् के पत्र व्यवहार के अनुसरण में, इन लोगोें ने परवर्ती संस्थान में प्रशिक्षण आरम्भ किया था। यह एपिकल चयन समिति के अनुमोदन से था, चूँकि पहले द्वारा सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, देश में सामान्य संस्थानों के अनुपलब्धता के आधार पर दो वर्षीय डिप्लोमा में दाखिला अपीलकर्तागण के लिए सुनिश्चित नही किया जा सका था। इसी पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में एपिकल चयन समिति ने अपीलकर्तागण के रूप में इस शर्त के शिथिलीकरण की सिफारिश किया था जिसे सक्षम प्राधिकारी अर्थात मा0 मुख्यमंत्री, स्किम शासकीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा किया गया था। परिणामस्वरूप, 3 अक्टूबर 2010 को, अपेक्षित अधिसूचना से, इन्हें वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में इनके कार्यों से कार्यमुक्त किया गया था।

3.7 लोकहित वाद, जो इसमें विषयवस्तु है, जम्मू एवं कश्मीर संविधान की धारा 103 के अन्तर्गत, विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपीलों के विषयवस्तु को पीएमआर, स्किम के विभाग में सहायक प्रोफेसरों के रूप में वर्तमान अपीलकर्तागण के नियुक्ति को अपास्त/रद्द करने की मांग करते हुए 9 दिसम्बर 2010 को उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था।

4. दो विवाद्यक जो उच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ उठा है: एक लोकहित वाद के पोषणीयता के संबंध में, क्योंकि यह सेवा मामलों से संबंधित है तथा दो, विहित अर्हताओं को प्राप्त करने की असंभवता के संबंध में, तद्द्वारा उपर्युक्त के बिना अपीलकर्तागण के नियुक्ति को न्यायोचित ठहराया जा सके।

4.1 यह अभिस्वीकार किया गया था कि ***डा0 दुर्योधन साहू बनाम जितेन्द्र कुमार मिश्रा तथा अन्य (1998) 7 एससीसी 273 तथा गुरपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य*** (2005)

5 एससीसी 136 के संदर्भ में सेवा मामलों में लोकहित वाद अब अनिर्णीत विषय नही है। यह भी उल्लेख किया गया था कि, यद्यपि, यह कि इस न्यायालय ने ऐसे मामलों में इस नियम के अपवर्जन को उत्कीर्ण किया था जहाँ लोक पदों के लिए की गई नियुक्तियाँ इसके लिए विहित कानूनी नियमों के विरुद्ध था। इस प्रकार के मामलों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय अधिकार पृच्छा रिट जारी करने में न्यायसंगत होगा (देखिए: ***हरिवंश लाल बनाम सहोदर प्रसाद महतो*** (2010) 9 एससीसी 655) इस प्रकार पोषणीयता के प्रश्न का उत्तर ***गुजरात उच्च न्यायालय बनाम गुजरात किसान मजदूर पंचायत तथा अन्य*** (2003) 4एससीसी 712 के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए दिया गया था, जिसमें परिदृश्य को स्पष्ट किया गया था जिसमें न्यायालय उत्प्रेषण के विरुद्ध अधिकार पृच्छा जारी कर सकता है।

4.2 विधि में स्थिति यह है कि विधि व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के लिए बाध्य नही करता है जो असंभव है, को अभिस्वीकार किया गया था, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि अपीलकर्तागण द्वारा पीएमआर में डिप्लोमा प्राप्त करना असंम्भव था। यह संप्रेक्षित किया गया कि अपीलकर्तागण ने संस्थानों में दाखिला हेतु कोई प्रयास नही किया था जो पीएमआर के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों को चलाता था। डा0 यू0 सिंह के संबंध में यह संप्रेक्षित किया गया था कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानों इसकी राय केवल अपीलकर्तागण के नियुक्ति को न्यायोचित ठहराने के लिए मांगी गई थी। इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अर्हताएं जैसा एमसीआई द्वारा अपेक्षित है को प्राप्त करने में कठिनाई की दशा में, सही कार्रवाई नियमों के संशोधन की मांग करना हुआ होता।

4.3 परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि डाक्टरों को अपेक्षित योग्यताओं के बिना इस प्रकार के प्रतिष्ठित संस्थान में बने रहने की अनुमति दी जाती है, यह इस प्रकार के अस्पतालों में रोगी के देखरेख को जोखिम में डाल देगा तथा शैक्षणिक उत्कर्ष को प्राप्त करने के प्रयासों को व्यर्थ कर देगा। इस प्रकार नियुक्तियों को अपास्त किया गया था।

4.4 पहले जम्मू एवं कश्मीर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो स्किमस के शासकीय निकाय के अध्यक्ष है कि अनुमोदन के बाद अपीलकर्तागण को निम्न विशिष्टियों-शासनादेश सं0 42-स्किमस वर्ष 2018, दिनांक 21 मई 2018 से संबंधित जारी नियुक्तियों को रद्द करने के आदेशों द्वारा सेवा से हटा दिया गया था।

5. व्यथित, अपीलकर्तागण हमारे समक्ष है। हमने अपीलकर्तागण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव पचनंदा तथा श्री ए.एम. मागरे एवं राज्य के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री जी.एम. कबूसा को सुना।

6. रिट के प्रकृति में अनुतोष का दावा उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्तागण के अवैध नियुक्ति के विरुद्ध किया गया था, जिसे अनुदत्त किया गया था। गुणावगुण की खोज

करने के पहले पदों जिसके लिए अपीलकर्तागण ने आवेदन किया था हेतु विज्ञापन (विज्ञापनों) पर विचार करना आवश्यक है।

6.1 विज्ञापन दिनांक 15 फरवरी 2005 का सुसंगत उद्धरण निम्नवत् है:

जम्मू एवं कश्मीर सरकार

शेरे-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, सौरा, श्रीनगर

विज्ञापन

नियमित/अस्थायी आधार पर स्किमस में निम्न खाली प्राध्यापक वर्ग के पदों को भरने के लिए आवेदनों को आमंत्रित किया जाता है:-

सहायक प्रोफेसर (11625-325-15200)

निश्चेतन विज्ञान, बीटी एवं आईएच, हृदय रोग, सीआई रुधिर विज्ञान, सी.आई. औषध विज्ञान, कम्युनिटी मेडिसिन, हास्पिटल प्रशासन, सीआई, कम्युनिटी मेडिसन, हास्पिटल प्रशासन, प्रतिरक्षा विज्ञान तथा आणविक औषधि, मेडिकल आन कालाजी, न्युरोसर्जरी, न्युक्लियर मेडिसिन, पैथालाजी, बाल रोग सर्जरी, काय आयुर्विज्ञान तथा पुनर्वास, प्लास्टिक सर्जरी, रेडियो-डायनासिस, रेडियोथिरैपी, रेडियोलाजिकल फिजिक्स एवं वायो-इंजीनियरिंग, सर्जिकल गैस्ट्रो एवं टिरोलाजी तथा यूरोलाजी ....

प्रोफेसर

अर्हता - मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक:-

(1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम वर्ष 1956 के तीसरे अनुसूची के अनुसूची । या ।। भाग-।। में शामिल चिकित्सा अर्हता एवं भाग-।। या तीसरे अनुसूची में शामिल अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 13(3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए।

(2) अपने-अपने विद्या/विषय में परास्नातक अर्हता अर्थात एमडी/एमएस या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता

....

सहायक प्रोफेसर

अर्हता - चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक

(सामान्य विद्या):

प्रोफेसर हेतु 1 तथा 2 के समान (चिकित्सा अभ्यर्थीगण)

अनुभव- चिकित्सा अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक (सामान्य विद्या):

एमडी/एमएस की अर्हक डिग्री या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के पश्चात विशेष विषय में मान्यताप्राप्त संस्था में 3 वर्षीय शिक्षण तथा/या शोध अनुभव अर्हता- चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक (सुपर स्पेशियाल्टी विद्या)

प्रोफसर हेतु उपर्युक्त (चिकित्सा अभ्यर्थीगण)

अनुभव-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक (सुपर स्पेशियाल्टी विद्या)

डीएम/एमसी.एच. (एमबीबीएस के बाद 2 वर्षीय या 5 वर्षीय मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम) की डिग्री या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के

पश्चात विशेष विषय के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में एक वर्षीय शिक्षण तथा/या शोध अनुभव। फिर भी, डीएम/एमसीएच के 3 वर्षीय मान्यता प्राप्त डिग्री या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनुभव आवश्यक नही है।''

6.2 डिप्लोमा के पूरा होने के शर्त के अधीन अपीलकर्तागण हेतु सहायक प्रोफेसर के दो पदों को रोकने वाली अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर 2005 निम्नवत् है:-

''एपिकल चयन समिति ने अगस्त 25 से 29 अगस्त 2005 तक सम्पन्न अपने (29) बैठक में काय आयुर्विज्ञान तथा पुनर्वास में वरिष्ठ रेजीडेन्ट तथा विशेष विषय में दो वर्षीय डिप्लोमा हेतु इनके प्रायोजन के रूप में निम्न दोनों अभ्यर्थियों के नियुक्ति की सिफारिश किया था जिसके लिए इन्हें इस आशय का संस्थान के साथ आवश्यक बंधपत्र/समझौता निष्पादित करना आवश्यक है कि ये लोग सात वर्ष के अवधि हेतु प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद संस्था की सेवा करेगें:-

1. डा0 शेख जावेद अहमद
2. डा0 अब्दुल हामिद राठौर

उपरोक्त दोनों डाक्टरों की नियुक्ति दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् सहायक प्रोफसर, काय आयुर्विज्ञान एवं पुनर्वास के रूप में की जायेगी तथा इस प्रयोजन हेतु सहायक प्रोफेसर के दोनों पदों को रोका गया है।

(बल दिया गया)

7. मेरी राय है कि उच्च न्यायालय ने इस मामले के तथ्यों में इस प्रकार के निष्कर्ष पर आने में त्रुटि किया था। उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष का आधार यह है कि यह प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कुछ नही है कि अपीलकर्ता ने डिप्लोमा देने वाले संस्थान में भर्ती किये जाने का प्रयास किया था तथा सम्यक् विचार के पश्चात् इनके अभ्यर्थिता को नामंजूर किया गया था। दूसरे शब्दों में, अर्हताएँ जैसा अपेक्षित थी को प्राप्त करने के लिए विधि में असंभवता नही थी।

8. हम इसे तथ्य का गलत दृष्टिकोण पाते है। अपीलकर्तागण के लिए सहायक प्रोफेसर के दोनों पदों को रोकने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना, जैसा ऊपर दोहराया गया है, हमें ऐसा ही बताता है। यह स्पष्ट करता है कि दोनों अभ्यर्थियों को इनके विशेष विषय में दो वर्षीय डिप्लोमा के लिए प्रायोजित किया जायेगा तथा जिसके पूरा होने के पश्चात, ये लोग आवश्यक बंधपत्र/समझौता के अनुसार सात वर्ष के लिए संस्थान की सेवा करेगें, जिसे निष्पादित करना होगा। इस प्रकृति का बंधपत्र या समझौता तब बनता है जब नियोक्ता अपने कर्मचारियों में से एक के शैक्षणिक प्रगति में आर्थिक रूप से सहयोग करता है, जिससे तत्पश्चात वापस लौटने तथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नये अर्जित अनुभव तथा ज्ञान के साथ नियोक्ता के विकास में योगदान करने की अपेक्षा की जाती है। शर्त यह है कि यदि इस प्रकार का कर्मचारी ऐसा करने में असफल रहता है, बंधपत्र जिसे इन लोगों ने निष्पादित किया है, जो विर्निदिष्ट धनराशि के लिए हो सकता है, को समपहृत किया जायेगा का इस प्रकार के शिक्षा को प्रायोजित करने में नियोक्ता द्वारा संदत्त धनराशि को वापस करना होगा।

9. इसलिए, यह स्पष्ट है कि स्किमस् को अपीलकर्तागण के भर्ती को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध करना था। इस आदेश के पैरा 7.2 में उद्धृत अधिसूचना इसे पर्याप्त तरीके से स्पष्ट करता है। इसे इनके प्रतिशपथपत्र दिनांक 23 जुलाई 2023 द्वारा अभिस्वीकृत किया जाता है। यह इसमें अभिसाक्ष्य दिया गया है '

> ''6. यह कि तत्पश्चात् मामले को पुनः इस निवेदन के साथ 2007 में एपिकल चयन समिति के समक्ष रखा गया था कि उक्त डिप्लोमा का प्रबंध याचीगण के लिए एम्स् नई दिल्ली तथा पीजीआई चण्डीगढ़ में नहीं किया जा सका क्योंकि इन लोगों ने इस प्रकार के पाठ्यक्रम को रोक दिया है। एपिकल चयन समिति को 2007 में इस प्रकार के स्थिति से अवगत कराया गया था जिसने स्किमस को देश के अन्य भागों में अन्य चिन्हित संस्थानों में डिप्लोमा का प्रबंध करने की सलाह दिया था। याचीगण के प्रायोजन को कार्यान्वित नही किया जा सका क्योंकि कुछ के सिवाय विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण को रोक दिया गया है, जहाँ केवल मूल निवासी आवेदन करने के योग्य थे तथा इन डाक्टरों को 13-03-2007 से काय आयुर्विज्ञान एवं पुनर्वास एम्स, नई दिल्ली में 06 माह के अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु भेजा गया था जिसे इन लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया था ....
>
> एपिकल चयन समिति को सूचित किया गया था कि एपिकल चयन समिति द्वारा पहले चिन्हित देश के संस्थानों में से एक में पीएमआर में 02 वर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण हेतु वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में याचीगण के प्रायोजन को सुनिश्चित करने के लिए स्किमस प्रशासन द्वारा किये गये अनवरत् प्रयासों के बावजूद, कार्यान्वित नही किया जा सका था। इसकी संपुष्टि वाह्य विशेषज्ञ डा. यू. सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष पीएमआर, एम्स द्वारा की गई थी, जिसने एक वारगी अपवर्जन के रूप में पीएमआर में 02 वर्षीय डिप्लोमा के शिथिलीकरण में बतौर सहायक प्रोफेसर उपरोक्त डाक्टरों के नियुक्ति की जोरदार तरीके से सिफारिश किया था।''
>
> (बल दिया गया)

.तत्पश्चात् अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि स्किमस प्रायोजक होने के नाते अपीलकर्तागण के लिए पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रबंध नही कर सका था।

10. हम इस तरीके पर भी आपत्ति करते हैं, जिसमें यह संकेत देते हुए डा. यू. सिंह के सिफारिश को उच्च न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया है कि वह छोड़े गये निष्कर्ष हेतु अनुमोदन की मोहर प्राप्त करने में संलिप्त था। ऐसा नही है मानो व्यक्ति जिसकी राय मांगी गई है इसे देने के लिए अयोग्य है, ऐसा नहीं है मानों मार्गदर्शन हेतु इस प्रकार का अनुरोध अनुचित है, माना गया है कि एम्स, दिल्ली को शीर्ष सरकारी अस्पताल होना माना जाता है- तब मुख्य होने के नाते यह कहते हुए इसे नामंजूर किया गया-

''.....वास्तव में यह प्रतीत होता है कि डा. यू. सिंह के पत्र का निष्कर्ष मात्र प्राइवेट प्रत्यर्थीगण 8 या 9 के नियुक्ति को न्यायोचित ठहराने के विचार से निकाला गया था। यह निश्चित रूप से सहायक प्रोफेसर के पद हेतु एमसीआई द्वारा विहित योग्यता के अर्जन में किसी असंभवता होने का मामला नही था....''

हमारे विचार में, अन्यायोचित है।

11. इसके अलावा, हम उच्च न्यायालय के संप्रेक्षण को नीचे उद्धृत पाते हैं:

''तथापि उन याचीगण द्वारा इसका खण्डन किया गया है जिन्होंने मेडिकल कालेजों के सूची को अभिलेख पर पेश किया है जहाँ पीएमआर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम देश के कुल 13 मेडिकल कालेजों तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध है। इन लोगों ने एम्स, नई दिल्ली द्वारा जारी विवरणिका को अभिलेख पर पेश किया है, जिसमें पीएमआर का पाठ्यक्रम प्रयोजित/ विदेशी छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है, तदद्वारा प्राइवेट प्रत्यर्थीगण के कथन को झूठा साबित करता है।"

यह हैरत में डालने के सिवा कुछ नहीं है क्योंकि दोनों उपरोक्त डा. यू. सिंह तथा स्किमस् नियुक्ति प्राधिकारी जो वास्तव में सरकार है ने पाया है कि विभिन्न कालेजों ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम बंद कर दिया है- फिर भी उच्च न्यायालय इसमें प्रत्यर्थीगण द्वारा पेश दस्तावेजों के किसी सत्यापन के बिना, अपने निष्कर्ष पर आया था।

12. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्तागण ने इस प्रकार का प्रशिक्षण आरंभ किया था तथा डा0 शेख जावेद अहमद, जो हमारे समक्ष पहला अपीलकर्ता है, विभागाध्यक्ष, एम्स दिल्ली द्वारा सिफारिश पत्र भी प्राप्त किया था।

13. पूर्वोक्त कारणों पर, मेरी राय है कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्तागण के नियुक्ति को अपास्त करने में त्रुटि किया था।

14. अपने आदेश दिनांक 26 मार्च 2025 द्वारा, हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण से स्किमस् के रिक्तियों के संबंध में अनुदेश प्राप्त करने के लिए कहा था। ई-मेल द्वारा इसके संबंध में प्राप्त अनुदेशों को हमें दिया गया है। हम इसे पूर्णतया दोहराते हैं:

''जैसा पालिसी अनुभाग, स्किमस से सत्यापित है, पर्यवसित सहायक प्रोफेसर (याचीगण) के काय आयुर्विज्ञान एवं पुनर्वास (पीएमआर) के दो पदों सहित विभिन्न पदों को जम्मू एवं कश्मीर लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर जीएडी को भेजा गया था। इस तिथि तक, केवल 13 पदों को वित्त विभाग द्वारा मंजूर किया गया है तथा इस पदों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग जम्मू एवं कश्मीर के जरिए जम्मू एवं कश्मीर लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन भी जारी किया है।

पीएमआरएफ के विद्या में पर्यवसित सहायक प्रोफेसरों के दो पदों सहित बाकी पद वित्त विभाग, जम्मू एवं कश्मीर में पुनरुज्जीवन के अन्तर्गत है, क्योंकि यह पद 2 वर्ष से अधिक समय से खाली पड़ा है। जीएफआर (सामान्य वित्तीय

नियमावली) के अनुसार यह पद ''समझा गया समाप्त'' के श्रेणी में आता है तथा पुनरुज्जीवन हेतु वित्त विभाग की सहमति आवश्यक है।''

(बल दिया गया)

15. उपरोक्त उद्धारण से निकलता है कि पद, जिसे अपीलकर्तागण के पक्ष में रोका गया था, इस कार्यवाहियों के लंबित रहने में जीवित है क्योंकि यह दो वर्ष से अधिक समय से खाली पड़ा था। पूर्वोक्त लेखबद्ध सभी कारणों पर, मेरी राय है कि अपीलकर्तागण सेवा में सातत्य के साथ सहायक प्रोफेसरों के रूप में सेवा में यथापूर्व किये जाने योग्य है। फिर भी इसे पूर्वनिर्णय के रूप में नही माना जा सकता है। इनके पद से हटाये जाने की तिथि से इनके यथापूर्वकरण तक पहले के वेतन के सिवाय सभी अन्य लाभ, आर्थिक तथा धन से भिन्न इन्हें प्राप्त होगा, जो तत्काल होगा। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलकर्तागण के लिए रोके गये दोनों विनिर्दिष्ट पदों के पुनरूज्जीवन हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के सरकार के समक्ष विचाराधीन है। न्यायहित में, हम निदेश देते है कि उक्त पदों को पुनरुज्जीवित किया जाय।

16. अपीलों को पूर्वोक्त निबंधनों में पक्षकारों पर अपने स्वयं के खर्चा को वहन करना छोड़ते हुए अनुज्ञात किया जाता है।

लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई है, को निपटाया जायेगा।

मामले का परिणाम: अपीलों को अनुज्ञात किया जाता है।

दिव्य पाण्डेय द्वारा *शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गई।*

(यह अनुवाद शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)